



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08122022-240876
CG-DL-E-08122022-240876

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5472]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 7, 2022/अग्रहायण 16, 1944

No. 5472]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 7, 2022/AGRAHAYANA 16, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5705(अ).—केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा डॉ. रणदीप गुलेरिया, पूर्व निदेशक, एम्स, नई दिल्ली को डॉ. प्रमोद गर्ग, प्रोफेसर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, एम्स दिल्ली के स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर के संस्थान निकाय का सदस्य नामित करती है, और उस प्रयोजन से) दिनांक 20 मार्च, 2020 के का.आ. 1186(अ) के माध्यम से भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या Z-28016/178/2019- पीएमएसएसवाई. IV दिनांक 11 मार्च, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

उपरोक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 10 और उससे संबंधित प्रविष्टि को निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:

"10. डॉ. रणदीप गुलेरिया, पूर्व निदेशक, एम्स, नई दिल्ली"

सदस्य का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

[फा. सं. जेड-28016/178/2019-पीएमएसएसवाई. IV]

मनोहर अगनानी, अपर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2022

S.O. 5705(E).—In exercise of powers conferred by Clause (e) of Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates Dr. Randeep Guleria, Former Director, AIIMS, New Delhi to be member of Institute Body of All India Institute of Medical Sciences, Bilaspur in place of Dr. Pramod Garg, Professor Gastroenterology, AIIMS Delhi and for that purpose makes the following amendment in the notification of Government of India in Ministry of Health & Family Welfare, File Number Z-28016/178/2019-PMSSY.IV dated the 11th March, 2020 published in the Gazette of India Part II, section 3, Sub-Section (ii) vide S.O. 1186 (E) dated the 20th March, 2020:

In the said notification, for serial number 10 and the entry relating thereto, the following serial number and entry should be substituted, namely :-

“10. Dr. Randeep Guleria, Former Director, AIIMS, New Delhi”

The terms of office of the member shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F. No. Z-28016/178/2019-PMSSY.IV]

MANOHAR AGNANI, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5706(अ).—केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 7 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा, डॉ. रणदीप गुलेरिया, पूर्व निदेशक, एम्स, नई दिल्ली को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर का अध्यक्ष नामित करती है।

[फा. सं. जेड-28016/178/2019-पीएमएसएसवाई.IV]

मनोहर अगनानी, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2022

S.O. 5706(E).—In exercise of the power conferred by section 7 (1) of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), as amended by the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates Dr. Randeep Guleria, Former Director, AIIMS, New Delhi, as President of All India Institute of Medical Sciences, Bilaspur.

[F. No. Z-28016/178/2019-PMSSY.IV]

MANOHAR AGNANI, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5707(अ).—केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा डॉ. अरुण कुमार सिंह, पूर्व कुलपति, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ को डॉ. प्रमोद गर्ग, प्रोफेसर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, एम्स दिल्ली के स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली के संस्थान निकाय का सदस्य नामित करती है, और उस प्रयोजन से दिनांक 31 दिसंबर, 2018 के.आ. 6411 (अ) के माध्यम से भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या Z-28016/65/2017- पीएमएसएसवाई.IV दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

उपरोक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टि को निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:

"6. डॉ. अरुण कुमार सिंह, पूर्व कुलपति, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ"

सदस्य का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

[फा. सं. जेड-28016/178/2019-पीएमएसएसवाई.IV]

मनोहर अगनानी, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2022

S.O. 5707(E).—In exercise of powers conferred by Clause (e) of Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates Dr. Arun Kumar Singh, Ex-VC, Atal Bihari Vajpayee Medical University, Lucknow, to be member of Institute Body of All India Institute of Medical Sciences, Raebareli in place of Dr. Pramod Garg, Professor Gastroenterology, AIIMS Delhi and for that purpose makes the following amendment in the notification of Government of India in Ministry of Health & Family Welfare, File Number Z-28016/65/2017-PMSSY-IV dated the 31st October, 2018 published in the Gazette of India Part II, section 3, Sub-Section (ii) vide S.O. 6411(E) dated the 31st December, 2018:

In the said notification, for serial number 6 and the entry relating thereto, the following serial number and entry should be substituted, namely :-

"6. Dr. Arun Kumar Singh, Ex-VC, Atal Bihari Vajpayee Medical University, Lucknow"

The terms of office of the member shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F. No. Z-28016/178/2019-PMSSY-IV]

MANOHAR AGNANI, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5708(अ).—केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा डॉ. अरुण कुमार सिंह, पूर्व कुलपति, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली का अध्यक्ष नामित करती है।

[फा. सं. जेड-28016/178/2019-पीएमएसएसवाई.IV]

मनोहर अगनानी, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2022

S.O. 5708(E).—In exercise of the power conferred by section 7 (1) of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), as amended by the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates Dr. Arun Kumar Singh, Ex-VC, Atal Bihari Vajpayee Medical University, Lucknow, as the President of All India Institute of Medical Sciences, Raebareli.

[F. No. Z-28016/178/2019-PMSSY-IV]

MANOHAR AGNANI, Addl. Secy.